अति आवश्यक

**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**पंचायती राज**

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./पराविं/एस.एफ.सी–पंचम/2019–20/5342 जयपुर, दिनांक:– 4-02-2020

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
**जिला परिषद– समस्त ।**

**विषय:–** पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2015 के चुनावों में निर्वाचित जिला प्रमुखों/प्रधानों/सरपंचों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार समाप्त किये जाने बाबत।

**संदर्भ:–** विभागीय अधिसूचना संख्या एफ 4()प्रशासक/विधि/पंरा/2020/3359 एवं 3360 दिनांक 30.01.2020 तथा विधि अनुभाग द्वारा जारी पंत्राक एफ 4()प्रशासक/विधि/परा/2020/3361 दिनांक 30.01.2020 के कम में।

विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचना के कम में लेख है कि अधिसूचना संख्या 3359 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 101(2)एवं (6) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार राज्य की ऐसी ग्राम पचायतें जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तथा उनके चुनाव सम्पन्न नहीं हों पाये हैं ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में उस ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम सेवक एवं पदेने सचिव को सम्बधित ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अधिसूचना संख्या 3359 चूंकि राज्य की समस्त पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का कार्यकाल दिनांक 07.02.2020 को समाप्त होने जा रहा है तथा इनके लिये चुनाव करवाने जाने की प्रकिया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभी प्रारम्भ नहीं की गई है, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा–101(2) एंव (6)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार. राज्य की ऐसी समस्त पंचायत समितियों में उस पंचायत समिति में कार्यरत विकास अधिकारी को तथा ऐसी समस्त जिला परिषदों में उस जिला परिषद में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सम्बन्धित पंचायत समिति/सम्बन्धित जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रशासक नियुक्त किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2015 के चुनावों में निर्वाचित जिला प्रमुखों/प्रधानों/सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अतः आपकी अधीनस्थ पंचायती राज संस्थाओं में उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार समाप्त करने संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। कार्यकाल समाप्ति के पश्चात ऐसे जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के बैंक खातो/पी.डी. खातों के संचालन पर रोक लगाने, उनकी एस.एस.ओ. आई.डी. को निष्क्रिय करने तथा अन्य सुसंगत आवश्यक कार्यवाही कर अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को 07 दिवस में अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावे।

—sd—
**(राजेश्वर सिंह)**
**अतिरिक्त मुख्य सचिव**

क्रमांक : एफ 165(7)ले.ब./पराविं/एस.एफ.सी–पंचम/2019–20/ जयपुर, दिनांक:–

**प्रतिलिपि:–**

1. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने, साथ ही Recent Updates में 15 दिवस तक प्रदर्शित किया जाना सुनिश्चित करे।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

**(हरि सिंह मीणा)**
**वित्तीय सलाहकार**

D:\Dekstop\shubham\Satish Ji\Letters.docx



Scanned by CamScanner